अध्याय 7

पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य नियामक शर्तों का पालन

खनन कंपनियों का खदान बंदी क्रिया कलापों, फ्लाई ऐश डम्पिंग, खतरनाक कचरे का उपयोग, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, विभिन्न नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

7.1 बंद खदाने

किफायती उत्खनन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर खदान को बंद करने की आवश्यकता है क्योंकि खनिज भंडार समाप्त हो गया है। खदान बंद करने के लिए योजना जरूरी है और इसे नियमानुसार किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा, बंद होने के उपरान्त निगरानी, सुरक्षा जोखिम नियंत्रण, अवसंरचना का विघटन, खदान में प्रवेश पर रोक, अंतिम गड्ढों का प्रबंधन, वनस्पति/वन का उद्धार, वित्तीय पहलू और बंदी लागतों को सुनिश्चित किए जा सके।

एक उचित खदान बंदी योजना का उद्देश्य क्षेत्र को सुरक्षित रखना है न कि समाज पर एक बोझ डालना और यह सुनिश्चित करना है कि यह एक स्व-संधारणीय परिस्तिथिकी प्रणाली में स्थानीय समुदाय की संधारणीय आजीविक का एक स्रोत है।

लेखापरीक्षा ने बंद खदानों से संबंधित रिकॉर्डों का परीक्षण जांच की और यह पाया कि:

7.1.1 खदान बंद करने की स्थिति रिपोर्ट

भारत सरकार ने खदान बंदी योजना (एमसीपी) को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी (अगस्त 2009) किए और यह निर्धारित किया कि सभी कोयला खदान मालिको, एमसीपी के अनुमोदन के बिना खदानों का संचालन, एक वर्ष (अगस्त 2010 तक) की अवधि में एमसीपी का अनुमोदन प्राप्त करे या खदान बंदी के दो वर्षों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हों। अगस्त 2009 में पहले बंद हुई खदानों के लिए, सीआईएल ने निर्धारित किया (नवम्बर 2016) कि खदान बंदी स्थिति रिपोर्ट (एमसीएसआर) तैयार की जाए।

हमने पाया की ईसीएल की 35 खदानों के लिए (**संलग्नक-II**), जो अप्रैल 1946 और जुलाई 2009 के बीच में बंद हुई थी, (राष्ट्रीयकरण से पहले बंद हुई 6 खदानों सहित) का एमसीएसआर तैयार (नवम्बर 2018) नहीं किया गया था।

ईसीएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि एमसीएसआर से संबंधित कार्य मई 2018 में सीएमपीडीआईएल को सौपें गए थे। सीएमपीडीआईएल को कार्य सौपने में देरी के लिए रिकॉर्ड पर कोई कारण नहीं दिया गया था।

7.1.2 खदान बंद करने के व्यय के लिए निलम्ब लेखा

खदान बंदी व्ययों के वित्तीय आश्वासन के लिए, कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) के परामर्श से अनुसूचित बैंक में अनुषंगी द्वारा एक निलम्ब लेखा खोला गया था और आवधिक तौर होने वाले व्ययों के समतुल्य राशि की निर्धारित दरों पर जमा की जानी थी। निलम्ब लेखा में उपार्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 80 प्रतिशत तक या विगत पांच वर्षों में खदान बंदी प्रगतिशील उठाया गया व्यय, जो भी कम हो, खदान बंदी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सीसीओ से दावा कर सकते है।

7.1.2.1 एनसीएल की गोर्बी खदानों को कोल रिज़र्व की समाप्ति के कारण अपसर्जित घोषित कर दिया (जुलाई 1997) था। एमसीपी को सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार किया गया (नवम्बर 2008) और एनसीएल के बीओडी द्वारा अनुमोदित किया गया (अप्रैल 2010), ₹ 23.00 करोड़ का खदान बंद करने के व्यय का अनुमान लगाया। यद्यपि, एक याचिका कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने प्लाई ऐश डपिंग हेतु एनटीपीसी को एक पूरानी/अपसर्जित खदान प्रदान करने पर मामले को उजागर किया गया था; पर खदान बंद करने के लिए एनसीएल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की थी। कार्रवाई न किया जाना न्याय संगत नहीं था क्योंकि हमने देखा था कि एनजीटी द्वारा अपने अंतर्गत विचाराधीन मामले को गोर्बी खदानों में खदान बंद करने की गतिविधियों से एनसीएल को नहीं रोका।

7.1.2.2 मंत्रालय द्वारा जारी किये गये (जनवरी 2013) दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न खदानों को बंद करने की गतिविधियों के लिए अद्यतित लागत अनुमान और एस्क्रो लेखे में

जमा राशि के विवरण सहित अंतिम एमसीपी खदान को अंतिम रूप से बंद किये जाने की संभावना से कम से कम पांच वर्ष पहले मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाने थे।

एनसीएल की झिनगुरडाह और काकरी खदानों का अनुमानित जीवन 2015-16 के दौरान समाप्त हो गया। इसके बावजूद झिनगुरडाह (8.24 एमटी) और काकरी (10.01 एमटी) खदानों में अवशिष्ट कोयला रिज़र्व के 18.25 मिलीयन टन (एमटी) अनुमान लगाया गया था। इसके लिए झिनगुरडाह (39.02 मिलीयन क्यूबिक मीटर टन) और काकरी (14.75 मिलीयन क्यूबिक मीटर) में 53.77 मिलीयन क्यूबिक मीटर की सीमा तक ओबी हटाये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, खदान गड्ढ़ों को भरना आवश्यक था ताकि वास्तविक रूप से अनुमोदित एमसीपी को संशोधित किया जा सके।

एनसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि झिनगुरडाह परियोजना का एमसीपी अद्यतित था। हमने पाया कि यद्यपि झिनगुरडाह परियोजना से संबंधित एमसीपी अद्यतित थी, जबकि काकरी परियोजना से संबंधित एनसीएल अद्यतित नहीं था। इसके अतिरिक्त, एनसीएल ने अब तक (अक्टूबर 2018) एस्क्रो लेखा में इन परियेाजनाओं के खदान बंद करने से संबंधित अतिरिक्त राशि जमा नहीं की थी।

7.1.2.3 हमने यह भी अवलोकन किया कि एनसीएल ने जैसा कि पैरा 7.1.3.1 के अंतर्गत दशा्रया गया है फ्लाई ऐश डंपिंग हेतु गोर्बी खदानों के अतिरिक्त अपसर्जित खदानें उपयोग करने के लिए जनवरी 2019 तक एनटीपीसी के साथ एमओयू को पूरा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निर्णय जैसे खदान बंद करने के संबंध में, लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 10.44 करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ डालते हुए, ₹ 33.44 करोड़ के खदान बंद करने के व्यय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि एनसीएल ने खदान बंद करने के लिए अपेक्षित इस अतिरिक्त राशि को निर्धारित नहीं किया।

एनसीएल ने बताया (अक्तूबर 2018) कि खदान के गड्ढों में एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित फ्लाई ऐश डम्पिंग के साथ, खदान बंद करने के लिए बढ़ी हुई राशि की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर तर्क पूर्ण नहीं है क्योंकि यह केवल मात्र अनुमान तथा खदान बंद करने की

लागत में समय महत्वपूर्ण कारक नहीं है जिसका अनुमान नवम्बर 2008 में वास्तविक रूप से सीएमपीडीआईएल द्वारा लगाया गया था।

7.1.2.4 समय-समय पर विभिन्न ट्रैंच में नामित एस्क्रो लेखो में खदान बंद करने के व्यय के प्रति एमसीएल द्वारा जमा की गई राशि के प्रति, आठ खदानों[34] से संबंधित ₹ 220.39 करोड़ की राशि के दावे मार्च 2018 के अंत तक निपटान हेतु लंबित थे। इसमें से मार्च 2018 के अंत तक सीसीओ के पास ₹ 1.93 करोड़ राशि के दावे लंबित थे। हमने पाया कि ₹ 218.46 करोड़ की अवशिष्ट राशि में से, सितम्बर-दिसम्बर 2018 के दौरान सीसीओ के साथ एमसीएल द्वारा ₹ 67.21 करोड़ राशि के दावे अधिमान्य किये गये थे, जबकि निपटान के लिए सीसीओ को सीएमपीडीआईएल द्वारा ₹ 151.25 करोड़ राशि के दावे अग्रेषित किये जाने थे और ये संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अभाव में लंबित थे।

7.1.3 बंद की गई खदान का पारिस्थितिक उद्धार

खदान आऊट एरिया के पारिस्थितिक पुन:रूद्धार और भूमि उपयोग के लिए एक योजना शामिल लागत के विवरण सहित तैयार की गई थी। क्लस्टर/खदान ईआईए-इएमपी की तैयारी के लिए एमओईएफ और सीसी के टीओआर ने निर्दिष्ट किया कि पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि से संबंधित अपसर्जित खान/खदान आऊट पिट्स/खाली जगह को उचित रूप से भरने और जैविक रूप से पुन:निर्मित किया जाएगा। कोयला कंपनियों के साध्य विकल्पों में से एक फ्लाई ऐश के साथ खदान गड्ढे भरे जाने का था। मिट्टी और अपसर्जित ओपन कास्ट खदान गड्ढों के भरने के स्थान पर भूमिगत खदानों को भरने में अधिक मात्रा में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप फ्लाई ऐश की उपयोगिता अधिक बढ़ी।

फ्लाई ऐश डंपिंग

7.1.3.1 एमओसी ने फ्लाई ऐश के लिए एनसीएल की गोर्बी खदान की पहचान की (नवम्बर 2016)। एनटीपीसी की एक इकाई, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने फ्लाई ऐश के लिए गोर्बी खदान के अपसर्जित खदान गड्ढों के उपयोग के लिए एनसीएल के साथ एक एमओयू

[34] भुवनेश्वरी ओसीपी, समलेश्वरी ओसीपी, लखनपुर ओसीपी, तलचर यूजी, मंदिरा यूजी, बेलपहाड़ी ओसीएम, लीलारी ओसीपी और जगन्नाथ ओसीपी

पूरा करने में अपनी रूचि दर्शाई (जनवरी 2017)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की कोर समिति ने फ्लाई ऐश डंपिंग हेतु एनटीपीसी को बंद की गई गोर्बी खदान उपलब्ध कराने के और एक महीने अर्थात् फरवरी 2017 के अंदर एनटीपीसी के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये (जनवरी 2017)। प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय, डीजीएमएस ने अवलोकन किया (जनवरी 2017) कि प्रचालनों की सुरक्षा किया जाना आवश्यक सांविधिक मंजूरी सहित वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे। हमने पाया कि एनसीएल ने 24 महीनों के बाद केवल जनवरी 2019 में ही एनटीपीसी के साथ एमओयू पूरा किया। इस प्रबंधन के अनुसार, एनसीएल ने एनटीपीसी पर फ्लाई ऐश डंपिंग के आरंभ किये जाने से पहले सभी सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त करने के दायित्व को बदल दिया। इस प्रकार, एमओयू पूरा करने में 24 महीनों का विलम्ब परिहार्य था।

7.1.3.2 एमसीएल ने फ्लाई ऐश की डपिंग के लिए समान नीति नहीं अपनाई। इसने एनटीपीसी की एक इकाई तलचर थर्मल पावर स्टेशन (टीटीपीएस) को जगन्नाथ ओसीपी पर फ्लाई ऐश डंप करने के लिए अनुमति दी और फ्लाई ऐश डपिंग के लिए टीटीपीएस द्वारा अदा किये जाने वाली दरें निर्धारित की (फरवरी 2011)। इसने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को ₹ 1.23 करोड़ के प्रतिफल हेतु जगन्नाथ ओसीपी में मार्च 2014 से फरवरी 2016 तक 5.58 लाख क्यू.मी. फ्लाई ऐश डंप करने की अनुमति भी दी। यद्यपि, दक्षिण बालंदा खदानों पर टीटीपीएस द्वारा फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए कोई प्रभार निर्धारित नहीं किया था यद्यपि भविष्य में नई गतिविधियों की अपनी समीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये टीटीपीएस के साथ मौजूदा एमओयू पूरा किया (जुलाई 2004)। इसके कारण एमसीएल ₹ 4.78 करोड़[35] के राजस्व से वंचित रह गई।

एमसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि दक्षिण बालंदा खदानों में फ्लाई ऐश डपिंग के लिए टीटीपीएस पर बिलों को तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2018)।

[35] जगन्नाथ खदानों में फ्लाई ऐश के डंपिंग के लिए टीटीपीएस के लिए निर्धारित दरों पर अप्रैल 2011 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए गणना की गई।

7.1.3.3 अप्रैल 2009 और दिसम्बर 2014 के बीच, इसीएल ने बिना किसी प्रभार के आठ अपसर्जित खदानों[36] में 201.26 लाख क्यू.मी. फ्लाई ऐश डंप करने के लिए इसीएल ने पांच थर्मल पावर संयंत्रों[37] को अनुमति प्रदान की जिससे वह ₹ 142.89 लाख[38] के राजस्व से वंचित रह गई।

7.1.3.4 हमने यह भी अवलोकन किया कि सीसीएल के कथारा कैप्टिव पावर संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादित फ्लाई ऐश खुले में डंप कर दी गई थी जिससे पर्यावरण को खतरा हुआ। सीसीएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि खदान गड्ढ़ों को भरने के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (नवम्बर 2018)।

7.1.3.5 खदान गड्ढ़ों को भरने के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग के प्रति अनुषंगियों में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई थी। यद्यपि, एमसीएल ने अपने खदान गड्ढ़ों में फ्लाई ऐश डपिंग अनुमत की थी, एमओइएफ एंड सीसी ने ईसीएल के खदान गड्ढ़ों में फ्लाई ऐश के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था (जनवरी 2015)। कोयला खदानों में फ्लाई ऐश के प्रयोग के मामलों पर सीआईएल, सीएमपीडीआईएल और एमओईएफएंडसीसी के साथ अपने मंत्रालय के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई थी (जुलाई 2016) और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि फ्लाई ऐश में खतरनाक घुलनशील अवशेष तत्व काफी अधिक मात्रा में पाये गये जो भूमिगत जल को विषेला बना सकता है। समान नीति के अभाव में, सीआईएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि नीति आयोग ने मामले को अपने अधीन ले लिया है और उनके द्वारा एक विस्तृत नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने यह भी कहा (अप्रैल 2019) कि खदानों में फ्लाई ऐश की उपयोगिता में कई तकनीकी, पर्यावरणीय और सुरक्षा मामले शामिल हैं। फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 में इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। नीति आयोग द्वारा इस संदर्भ में गठित की गई

---

[36] दामोदर घाटी निगम के मझिया थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन और दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन, बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड मैथन पावर लिमिटेड ।

[37] पारसकोली (प), ढांडाडीह, परसिया, तोप्सी पैच, ओल्ड बेलबाद, जे.के.नगर (निमचा फायर ट्रैंच), मंडमन और लखीमाता

[38] एमसीएल के जगन्नाथ ओसीपी द्वारा प्रभारित री.0.71 प्रति घन मीटर की न्यूनतम दर पर गणना की गई

विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत रूप से मामले पर विचार किया और प्रस्ताव किया कि एमओइएफ और सीसी को फ्लाई ऐश उपयोगिता के लिए मौजूदा इसी में निर्दिष्ट स्थिति पर पुन: विचार करना चाहिए और फ्लाई ऐश अधिसूचना के अनुसार सुधार करना चाहिए। फ्लाई ऐश की उपयोगिता के लिए एमओइएफ एंड सीसी के परिपत्र और दिशा निर्देशों का सभी संदर्भ में अनुपालन किया जाएगा। इससे आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (अप्रैल 2019)।

एग्जिट कांफ्रेस में, मंत्रालय ने कहा (मई 2019) कि नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर समान नीति अपनाई जाएगी।

7.1.3.6 नमूनागत खदान के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि ईसीएल के शीबपुर खदान (1984 में बंद की गई) में खदान गड्ढ़े छोड़ दिये गये थे। हमने पाया कि कई ईंट बनाने की भट्टी खदान क्षेत्र के साथ-साथ प्रचालित की गई थी। ईसीएल ने इस गड्ढ़े को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिससे अवैध खदान या किसी दुर्घटना की आशंका बनी रही।

चित्र 13: पैरा सं. 7.1.3.6: ईसीएल में बंद की गई शीबपुर खदान में खदान गड्ढ़ा

चित्र 14: पैरा सं. 7.1.1: राष्ट्रीयकरण से पहले बंद की गई ईसीएल में डालमिया यूजी पिट को अनुचित रूप से बंद किया जाना

7.2 नियामक शर्तों की अनुपालना

7.2.1 सीटीओ में अनुमत की गई मात्रा से अधिक उत्पादन

एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी किये गये ईसी और एफसी ने विभिन्न मानकों में निर्दिष्ट अनुपालन के बाद खदानों से निकालने के लिए कोयले की अधिकतम मात्रा अनुमत की। दिशा-निर्देशों के खंड 3.2 के साथ पठित जल (प्रदुषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदुषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए स्वीकृति प्राप्त करने से पहले संयंत्र या फैसिलिटी के प्रचालन से सीटीई फीस से पांच गुणा के समान

प्रदुषण प्रभार भरने पड़े। यद्यपि, प्रत्येक खदान के लिए सीटीई/सीटीओ के अंतर्गत अनुमत सीमा तक कोयले की मात्रा निकाली जा सकती थी जबकि तथ्य यह था कि ईसी ने उच्चतर मात्रा की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा ने 28 नमूना खदान और 2 वाशरिज में विभिन्न सांविधिक शर्तों की अनुपालना की नमूना जांच की और पाया कि:

7.2.1.1 ईसीएल के अंतर्गत सोनपुर बाजारी ओसीपी ने एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अनुमत ईसी के अंतर्गत मार्च 2016 तक 12 एमटीपीए की सीमा तक कोयला निकालने की अनुमति दी थी। यद्यपि, जून 2016 में पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीएसपीसीबी) द्वारा जारी किये गये सीटीओ से केवल 8 एमटीपीए तक निकाला जाना अनुमत किया। फिर भी, सोनपुर बाजारी ने सीटीओ की शर्तों का उल्लघंन करते हुए 2016-17 के दौरान 8.93 एमटी उत्पादित किया।

ईसीएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि उत्पादन ईसी के अंतर्गत अनुमत मात्रा से कम था। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि सीटीओ में निर्दिष्ट मात्रा को पार नहीं किया जा सकता।

7.2.1.2 हमने देखा कि एमसीएल ने बढ़े हुए उत्पादन से पहले अपेक्षित सहमति प्राप्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2013 और जून 2017 के बीच, ओएसपीसीबी ने नौ खदानों[39] में सीटीई में अनुमत मात्रा से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए ₹ 6.57 करोड़ के प्रदूषण शुल्क उद्ग्रहित किये। इस प्रकार एमसीएल को पैनल प्रभार के परिहार्य भुगतान करने पड़े थे जो प्रणालीगत चूक का सूचक है।

एमसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि ईसी प्रदान करने की प्रक्रिया में काफी समय लिया गया था और नौ खदानों के मौजूदा मामले में यह 13-76 महीने तक था और ऐसा भारी मांग के कारण था, राष्ट्रीय हित में कोयले का उत्पादन अधिक था।

7.2.2 खनन योजना में अधिक उत्पादन

एमसीएल के बसुंधरा (डब्ल्यू) की संशोधित (फरवरी 2015) अनुमोदित खनन योजना के अनुसार 2015-16 के दौरान 3.0 मीट्रिक टन कोयले की जांच की जानी थी जिसके प्रति

[39] लखनपुर, समलेश्वरी, बेलपहाड़, हीराखंड बुंदिया, ओरिएंट 4, लाजकुरा, लिंगराज, अनंत और ओरिएंट 3

एमसीएल ने 3.728 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। हमने पाया कि खदान के उप निदेशक (डीडीएम), ओड़िशा ने एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए ₹ 50.97 करोड़ का जुर्माना लगाया (जून 2017)। हमने यह भी पाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन योजना के उल्लंघन की पुष्टि (अगस्त 2017) की गई थी और एमसीएल ने मार्च 2018 तक मांग पर विवाद नहीं किया था। हमने यह भी पाया कि एमसीएल ने देयता के भुगतान के लिए अपने बहीखातों में ₹ 50.97 करोड़ का प्रावधान तैयार किया था (मार्च 2018)।

एमसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि अन्य खदानों में उत्पादन में कमी को पूरा करके खनन योजना से अधिक उत्पादन को सुलझाया गया।

7.2.3 ईसी, सीटीई और सीटीओ के बिना इकाईयों का प्रचालन

खदानों और वाशरिज के लिए प्रचालन के लिए पर्यावरण स्वीकृति, स्थापित करने के लिए सहमति और सहमति प्राप्त करने के अनुक्रम पर उपर्युक्त पैरा 1.2.2 में चर्चा की गई है। हमने पाया कि मार्च 2018 के अंत तक, खदानों (13) और वाशरियों (3) वाली दो अनुषंगियों से संबंधित 16 इकाइयों को वैध ईसी (9), सीटीई (1) और सीटीओ (6) के बिना संचालित किया जा रहा था जो इस प्रकार हैं:

तालिका 13: बीसीसीएल और सीसीएल में ईसी, सीटीई और सीटीओ के बिना खदानों/वाशरिज का प्रचालन

क्र. सं.	अनुषंगियां	बिना संचालन				
		ईसी		सीटीई		सीटीओ
		खदान	वाशरिज	खदान	वाशरिज	खदान
1	बीसीसीएल	4	3	-	-	2
2	सीसीएल	2	-	1	-	4
कुल		**6**	**3**	**1**[40]	**-**	**6**[41]

[40] खदानों के अतिरिक्त जो ईसी नहीं था, क्योंकि यह सीटीई के लिए पूर्व आवश्यकता थी

[41] खदानों के अतिरिक्त सीटीई नहीं था, क्योंकि यह सीटीओ के लिए पूर्वाश्यकता थी

जैसा कि **संलग्नक-III** में दर्शाया गया है, इन इकाइयों का प्रचालन विनियामक तंत्र का उल्लंघन था। चूंकि इन इकाइयों का प्रचालन ईसी, सीटीई और सीटीई प्राप्त किए बिना किया जा रहा था, इसलिए विभिन्न नियमों/विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रचलन में लघु उपायों की संगतता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

बीसीसीएल और सीसीएल ने लेखा परीक्षा अवलोकन स्वीकार किया (नवम्बर 2018) और कहा कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

7.2.4 संरचनात्मक व्यय

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 में बाघ रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के गैर-सतत उपयोग पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 और सीआईएल की नीति 2012 संविधान के अनुच्छेद 48 (क) के अनुसार वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हमने पाया कि हुरिलोंग यूजी कोयला परियोजना के लिए सीसीएल के बीओडी द्वारा अनुमोदित (मार्च 1988) के एक प्रस्ताव को एमओईएफ द्वारा इस दलील पर अस्वीकार कर दिया गया था (अगस्त 1998) कि स्थान पालामऊ बाघ रिजर्व के निकट था। फिर भी, सीसीएल ने एमओईएफ एंड सीसी के साथ मामले का अनुसरण करते हुए (अगस्त 2007) 6.58 एकड़ गैर वन भूमि का अधिग्रहण किया और सेवा भवन का निर्माण करने के अतिरिक्त इस क्षेत्र को खनन हेतु ओवरहेड बिजली ट्रांसमिशन लाइन और 100 मीटर और 77 मीटर लंबे दो इंकलाइन्स - तैयार किये गये थे। ये खनन सुविधाएं ₹ 2.98 करोड़ की लागत से बनाई गई थीं। तथापि, एमओईएफ और सीसी ने बाद वाले प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया (अक्तूबर 2007) और इसलिए ₹ 2.98 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया।

सीसीएल ने कहा (नवंबर 2018) कि वर्तमान में हुरिलोंग यूजी कोयला परियोजना में कोई गतिविधि नहीं थी।

7.3 खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

कोयला खदानों में खतरनाक अपशिष्टों में उपयोग किए गए/प्रयुक्त तेल और अपशिष्ट जिनमें खनिज प्रयुक्त करने हेतु औद्योगिक प्रचालन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले तेल

वाले अवशेष हैं जो हाइड्रोलिक प्रणालियों या अन्य अनुप्रयोगों में स्नेहक के रूप में सिंथेटिक तेल, का उपयोग करते हुए, अपशिष्ट जल प्रशोधन से रासायनिक गाद और तेल और ग्रीस स्किमिंग अवशेष शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप हवा, पानी और अपशिष्ट जल के प्रशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2008, जो मार्च 2016 तक प्रचलन में था, और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस सीमा मुवमेंट) नियम, 2016 (नियम) जिसे उसके बाद लागू किया गया था जो स्वास्थ्य या पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है उसे खतरनाक अपशिष्ट परिभाषित किया गया है। उनके हैंडलिंग, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग और परिवहन के नियमों के तहत एसपीसीबी से अनुमति अपेक्षित थी। नियमों में यह भी निर्धारित किया गया था कि इन अपशिष्टों को केवल नब्बे दिनों तक ही रखा जा सकता है।

7.3.1 भंडारण और संबंधित जोखिम

7.3.1.1 मार्च 2018 के अंत में, दो अनुषंगियों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के दो मदों को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्टॉक में रखा गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 14: सीसीएल और एमसीएल की खदान/वाशरी में खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण

क्र. सं.	अनुषंगियां	अपशिष्ट मद	मात्रा	इकाई जहां रखा गया	रखने की अवधि
1	सीसीएल	रद्द की गई वाशरी	26 लाख टन	कथारा वाशरी	13 वर्षों से ऊपर
		ब्रन्ट/प्रयुक्त तेल	227.54 केएल	राजरप्पा ओसीएम	90 दिनों से अधिक
2	एमसीएल	ब्रन्ट/प्रयुक्त तेल	101.59 केएल	भरतपुर खान	90 दिनों से अधिक

हमने पाया कि एमसीएल अधिकृत मात्रा (62 केएल) से अधिक/प्रयुक्त तेल को संग्रहीत करता है। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि मार्च 2018 के अंत तक, आठ[42] खदानों और तीन अनुषंगियों की दो वाशरी ने संबंधित एसपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त किए बिना खतरनाक अपशिष्टों को हैंडल किया। इसके अतिरिक्त, जबकि बसुंधरा (डब्ल्यू) ने अप्रैल 2014 से

[42] सीसीएल के कथारा ओसीएम (वाशरी सहित), सोनपुर बाजारी, झंझरा, डोबेल और ईसीएल के कुनुस्तोरिया, डीबीओसीपी, पुटकी बलिहारी और मूनडीह माइंस (जुलाई 2017 तक) और बीसीसीएल का भानुडीह वाशरी।

सितंबर 2017 तक ओएसपीसीबी से अनुमति के बिना खतरनाक कचरे को हैंडल किया, लखनपुर ने अप्रैल 2015 से फरवरी 2017 तक अनुमति के बिना हैंडल किया। हमने यह भी पाया कि बसुंधरा (डब्ल्यू) ने उपर्युक्त अवधि के दौरान खतरनाक कचरे से निपटान के लिए अनुमति के नवीकरण के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू नहीं की थी और यह कि आवेदन अप्रैल/सितम्बर 2017 में ही ओएसपीसीबी को फाईल किया गया था।

एमसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि ब्रन्ट तेल की नीलामी के लिए कार्रवाई की गई थी। सीसीएल ने इस तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2018) और कहा कि पुराने अस्वीकृत और जले हुए तेल के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2018)।

7.3.1.2 अनुचित हैंडलिंग और खतरनाक तथा अन्य कचरे के प्रबंधन के कारण पर्यावरण या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की देयता के प्रति सुरक्षा के रूप में खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट नियम) नियम 2016 के खंड 23 के अंतर्गत, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 4 के अंतर्गत दिये गये विचारानुसार अनुषंगियों को बीमा कवर प्राप्त करना था। हमने पाया कि एनसीएल और एसईसीएल ने निर्धारित सीमा से अधिक खतरनाक अपशिष्टों का निपटान नहीं किया और इसलिए नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। हालांकि, अन्य अनुषंगियों में से किसी ने भी इसका पालन नहीं किया और इस प्रकार जोखिम पूर्ण बने रहे। एमसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि परियोजनाओं को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। आगे की कार्रवाई प्रतिक्षित है (नवंबर 2018)।

7.3.2 ब्रन्ट तेल की कम वसूली

स्नेहक तेल कोयले की निकासी के लिए तैनात एचईएमएम इंजन में प्रयोग किया जाता है। तेल परिवर्तन और रखरखाव के दौरान, इस्तेमाल किया तेल (ब्रन्ट तेल) बाहर निकल जाता है। ब्रन्ट तेल की वसूली के लिए मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एनसीएल द्वारा गठित एक समिति (नवंबर 2014) ने उपकरण-वार दरों की वसूली की सिफारिश की।

तीन खदानों (निगाही, खड़िया और जयंत) में 2014-18 की अवधि के दौरान ब्रन्ट तेल की वसूली के लिए निर्धारित उपकरण-वार मानदंड और वास्तविक वसूली इस प्रकार थी:

तालिका 15: एनसीएल में बर्न्ट ऑयल की वसूली की स्थिति

(सभी आंकड़े *प्रतिशत* में)

उपकरण	नियम	वास्तविक वसूली		खदान जिसमें कम वसूली पाई गई
		न्यूनतम	अधिकतम	
डम्पर	50	19.76	43.24	निगाही
डोजर	37	14.94	34.32	निगाही और खड़िया
ड्रैगलाइन	29	1.12	14.39	जयंत और खड़िया
ड्रिल	27	10.19	24.47	निगाही और खड़िया
बेलचा	17	2.57	15.10	जयंत और खड़िया

तेल रिसाव को कम करने के लिए मौजूदा संभावना की पुष्टि करते हुए (अक्टूबर 2018), एनसीएल ने कहा कि तैनात एचईएमएल अपने तकनीकी अनुमानित जीवन पूरा कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएल ने कहा कि जिनका जीवनकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ताकि जले हुए तेल के रिसाव को रोका जा सके और संदूषण के कारण इसके दुष्प्रभावों को रोका जा सके। आगे की कार्रवाई प्रतिक्षित हैं (नवंबर 2018)।

7.3.3 उच्चतर दरों पर जल उपकर का भुगतान

उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट दरों पर जल उपकर एकत्र किया गया था, उपरोक्त ईपी अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन अनुसार रियायती दरों पर जल उपकर के भुगतान के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है। हमने पाया कि उपकर अधिनियम में निर्दिष्टानुसार एमसीएल मीटर को संस्थापित करने और अपशिष्ट जल विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही और इसलिए उपकर की रियायती दरों का लाभ नहीं उठा सकी।

इस अननुपालना के कारण 2013-18 के दौरान ₹ 2.48 करोड़ की बचत राशि को छोड़ना पड़ा था, जैसा कि **संलग्नक-IV** में विस्तृत रूप से दिया गया था।

एमसीएल ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और कहा कि संबंधित अधिनियम को समाप्त करने के कारण जुलाई 2017 से कोई जल उपकर का भुगतान नहीं किया गया था।

7.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कोयले के खनन का उन क्षेत्रों में और उसके आस-पास पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जहां खानें प्रचालन में हैं। इसलिए, परियोजनाओं को पर्यावरण, संरक्षण, सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके आसपास के समुदाय की आकांक्षाओं पर उचित विचार करते हुए सतत विकास के सिद्धांत पर तैयार किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित कार्यकलापों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए सीएसआर पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

एमओईएफ और सी सी द्वारा अनुषंगियों को अनुमत ईसी की विशिष्ट शर्त के अनुसार सीएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए पांच रुपये प्रति टन कोयले का उत्पादन किया जाना था। यह राशि सीएसआर गतिविधियों के तहत सामुदायिक विकास के लिए खर्च की जानी थी। हमने पाया कि अनुषंगियों ने 2013-18 के दौरान एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अधिदेशित कुल राशि का केवल 41 *प्रतिशत* सामूहिक रूप से व्यय किया।

अनुषंगियों में वास्तविक व्यय की कमी 40 *प्रतिशत* और 87 *प्रतिशत* के बीच थी जिसका वर्णन नीचे दिया गया है:

तालिका 16: एमओईएफ और सीसी द्वारा अधिदेशित के प्रति वास्तविक सीएसआर व्यय में कमी

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी	एमओईएफ और सीसी द्वारा अधिदेशित सीएसआर	वास्तविक सीएसआर व्यय	कमी (2) – (3)	(4) से (2) की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बीसीसीएल	86.33	51.99	34.34	40
सीसीएल[43]	32.96	13.11	19.85	60
ईसीएल[44]	62.60	21.26	41.34	66
एमसीएल[45]	59.95	22.63	37.32	62
एनसीएल[46]	54.80	30.58	24.22	44
एसईसीएल[47]	193.51	63.16	130.35	67
डब्ल्यूसीएल[48]	14.21	1.78	12.43	87
कुल	**504.36**	**204.51**	**299.85**	**59**

बीसीसीएल ने कहा (नवंबर 2018) कि इसका सीएसआर व्यय कॉर्पोरेट बजटीय आबंटन पर आधारित था। सीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल ने कहा (नवंबर 2018) कि सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान कंपनियों के अधिनियम 2013 के अंतर्गत जैसा कि अधिदेशित किया गया है तत्काल विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ के दो *प्रतिशत* पर बहीलेखों में किया गया था। इसके अतिरिक्त सीसीएल ने कहा कि सीएसआर निधि का परियोजना-वार आबंटन नहीं किया गया था। एमसीएल और एनसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि सीएसआर के अंतर्गत उनके समग्र कॉर्पोरेट खर्च 2013-18 के दौरान बजट राशि से अधिक हो गए। डब्ल्यूसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि सीएसआर के अंतर्गत उनके समग्र कॉर्पोरेट खर्च एमओईएफ और सीसी द्वारा अधिदेशित राशि से अधिक हैं। मंत्रालय ने प्रबंधनों के विचार (अप्रैल 2019) का भी समर्थन किया।

---

[43] पिपरवार ओसीएम और एकेकेओसीएम

[44] राजमहल और कालिदासपुर को छोड़कर

[45] लखनपुर (मई 2014) और लिंगराज (नवंबर 2015) खदान

[46] निगाही और बीना खदानें

[47] गेवरा, कुसमुंडा और डिपका खदानें (2014-15 के बाद)

[48] माजरी, वानी और उमरेरक्षेत्र

एग्जिट कांफ्रेस में, मंत्रालय ने कहा (मई 2019) कि यद्यपि कंपनी के अधिनियम 2013 में प्रदान किए गए वित्तीय मानकों के अनुसार एक अनुषंगियों को लाभ नहीं दिया गया हो, सीआईएल नीति ने सीएसआर वित्तपोषण के लिए 2.0 रुपये प्रति टन की दर पर व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त, सीआईएल ने स्थानीय क्षेत्र के विकास पर व्यय के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के अंतर्गत निधि भी जमा की थी जिसमें सीएसआर कार्यकलाप भी थे।

उपर्युक्त तर्क तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि मुद्दा यह है कि सीएसआर के अंतर्गत कंपनी अधिनियम/समेकित बजटीय आबंटनों के संदर्भ के बिना एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अधिदेशित विशिष्ट खदानों में सीएसआर व्यय में कमी है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट खदानों के आस-पास सतत सामुदायिक विकास के सिद्धांत पर विधिवत विचार किया जाना है जिसके लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत व्यय को अधिदेशित किया गया था ताकि एकतरफा विकास से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा संकलन

ईसीएल की 35 खदानें जो अप्रैल, 1946 और जुलाई, 2009 (जिसमें राष्ट्रीयकरण से पहले बंद की गई छह खदानें शामिल हैं) के बीच बंद कर दी गई थीं, खदान बंद करने की स्थिति की रिपोर्ट नहीं थी। सीसीएल के कथारा कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न फ्लाई ऐश को खुली जगह में फेंक दिया गया था, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया था। एमसीएल में खदान विभाग के उप निदेशक, ओड़िशा ने खदान योजना से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए ₹ 50.97 करोड़ का जुर्माना उद्ग्रहित किया (जून 2017)। मार्च 2018 के अंत में, दो अनुषंगियों जिनमें खदान (13) और वाशरी (3) से संबंधित 16 इकाइयां वैध पर्यावरण मंजूरी (9 इकाइयों में ईसी), स्थापित करने के लिए सहमति (1 यूनिट में सीटीई) और प्रचालन के लिए सहमति (6 इकाइयों में सीटीओ) के बिना संचालित की जा रही थीं। परिणामस्वरूप, विभिन्न नियमों/विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पर्यावरणीय प्रदूषण को संभालने के लिए प्रचलन में प्रशामक उपायों की संगतता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

पलामाऊ टाइगर रिजर्व के निकट स्थित हुरिलोंग भूमिगत (यूजी) कोयला परियोजना के लिए ईसी को एमओईएफ द्वारा (अगस्त 1998) को अस्वीकार कर दिया गया था। ईसी प्राप्त करने से पहले, सीसीएल ने 6.58 एकड़ गैर वन भूमि का अधिग्रहण किया और उसे नष्ट कर दिया और ₹ 2.98 करोड़ की लागत से अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण किया, जिससे निर्माण निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, एमसीएल ने मीटर संस्थापित नहीं किए और उपकर अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित अपशिष्ट जल विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और इसलिए उपकर की रियायती दरों का लाभ नहीं उठा सकी।